कार्यालय उप नियंत्रक नाप–तौल, जबलपुर संभाग, जबलपुर

क्रमांक ..../नातौ/प्रवर्तन/2006   जबलपुर दिनांक..................

भोपाल पेट्रोलियम मल्टीपरपज डीलर्स एसोसिएश, मिसरोद, जिला भोपाल ने एक ज्ञापन दि. 09/03/2006 को प्रस्तुत कर आईल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पम्पों में स्थापित डिस्पेंसिग मशीनों की जांच को बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए इसे अवैधानिक घोषित करने और उस पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। अपने कथनों के समर्थन में एसासिएशन द्वारा 10 सहपत्र भी ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए गए थे।विषय की गंभीरता को समझते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जबलपुर संभागीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत समस्त आईल कंपनियों इंडियन आईल कार्पो. लिमि., भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. हिन्दुस्तान पेट्रोंलियम कार्पो. लिमि. आई.बी.पी.कं.लिमि. तथा रिलायंस पेट्रों–मार्केटिंग लिमि. को इस कार्यालय के पत्र कं. 328/नातौ/प्रवर्तन/2006 दि. 10.03.2006 के साथ उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपियां भेजकर उनका अभिमत जानना चाहा था।

इंडियन आईल कार्पो. लिपि., आई.बी.पी.कं.लिमि. तथा रिलायंस पेट्रो– मार्केटिंग लिमि. ने इस विषय में अपना कोई मत/सहमति अथवा असहमति व्यक्त नहीं की हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. की तरफ प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 30 मई 2006 में उन्होंने कंपनी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985, भारतीय दण्ड विधान, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का नियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005, बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 तथा डीलरशिप अनुबंध के विभिन्न प्रावधानों की अपने पक्ष में व्याख्या करते हुए अपने अधिकारियों के शासकीय सेवक होने और उन्हें डिस्पेंसिंग मशीनों की जांच का वैधानिक अधिकार प्राप्त होने का दावा किया हैं।

जंहा तक उपरोक्त कानूनों की व्याख्या का प्रश्न है तो उस पर कोई टीका–टिप्पणी करना इस कार्यालय के लिए न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि इस कार्यालय का कार्यक्षेत्र नाप–तौल संबंधी समस्त कानूनों एंव नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा उनके उल्लंघन की दशा में विधि अनुसार कार्यवाही करने तक सीमित हैं। नाप–तौल संबंधी मामलों में नाप–तौल कानूनों की सर्वोपरियता संदेह से परे हैं। अन्य कानूनों की आड़ में नाप–तौल विभाग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता हैं। नाप–तौल संबंधी किसी कानून द्वारा आईल कंपनियों के अधिकारियों को डिस्पेसिंग मशीनों की जांच हेतू प्रधिकृत नहीं किया गया हैं।

ज्ञापन के एक महत्वपूर्ण तथ्य कि आईल कंपनियों द्वारा 5 लीटर क्षमता के साधारण कोनिकल माप द्वारा डिस्पेसिंग मशीनों की जांच की जाती हैं, सही पाया गया हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. ने अपने प्रत्युत्तर में भी इसका खण्डन नहीं किया गया हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पो. लिमि. ने अपने प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस कानूनी प्रावधान के आधार पर साधारण कोनिकल माप का प्रयोग डिस्पेसिंग मशीनों की जांच के लिए करते हैं। कोई भी कानून आईल कंपनियों के अधिकारियों को इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करता है कि वे समुचित उपकरणों के प्रयोग के बिना ही माप–तौल जांच करें, ण

इस बावत् कोई निष्कर्ष निकालें ओर उस आधार पर कोई दाण्डिका कार्यवाही करें।

बांट तथा माप मानक (सामान्य) नियम 1987 के छठवें शेड्यूल, भाग1, कंडिका 6 के अनुसार 5 लीटर क्षमता के साधारण कोनिकल माप की शुद्धता में अनुज्ञेय त्रुटि सीमा सत्यापन के समय (+) मि. ली. तथा निरीक्षण के समय (–) 15 मि. ली. से लेकर (+) 30 मि.ली. तक है। इस कारण ऐसे माप से जांच करने पर परिणाम के त्रुटिपूर्ण होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतएव डिस्पेंसिंग मशीनों की जांच के लिए साधारण कोनिकल माप का प्रयोग उचित नहीं है इस प्रकार की गई किसी जांच की वैधानिक मान्यता शून्य हो त्रुटि रहित परिणाम पाने के लिए आवश्यक है कि जांच नियमानुसार प्रमाणित जांच माप से की जावे जिसकी शुद्धता में त्रुटि प्रामाणिक तौर पर मिली./–0 है नाप तौल विभाग के पास ऐसे प्रमाणित शुद्ध माप सदैव उपलब्ध होते है, आईल कंपनियों के अधिकारी आवश्यकता होने पर नाप–तौल विभाग से सहयोग प्राप्त कर प्रामणिक जांच कभी भी संपन्न करवा सकते है।

इसके अतिरिक्त माप–तौल की जांच एक विशिष्ट दक्षता का कार्य है जिसके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में ही उपलब्ध है। नाप तौल निरीक्षक/अधिकारी भी वहां से दक्षता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही नाप तौल की जांच का अधिकारी

प्राप्तकरते है आईल कंपनियों के अधिकारी यह दक्षता कब और कैसे प्राप्त करते है यह तो स्पष्ट नही है।

इन परिस्थितियों में आईल कंपनियों के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियत्रंक का नाप–तौल, मध्यप्रदेश्र भोपाल का पत्र क्रं. 5814, दिनांक 28.12.2004 का

पालन करे तथा आवश्यकता होने पर नाप तौल का सहयोग प्राप्त करें। कानून के उल्लघंन की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :– नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 5814 दिनांक 28. 12.2004 की प्रतिलिपि

उप नियंत्रक
नाप तौल, जबलपुर संभाग,
जबलपुर

पृ.क्रं. 764 / नातौ / प्रवर्तन / 2006 जबलपुर, दिनांक 13.7.2006

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल।
2. समस्त नाप तौल, निरीक्षक जबलपुर संभाग आपको निर्देशित किया जाता है कि आईल कंपनी अधिकारियों की सूचना पर यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक / क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी–समस्त आईल कंपनीज, जबलपुर संभाग।
4. अध्यक्ष भोपाल पेट्रोलियम मलटीपरपज डीलर्स एसोसिएशन, मिसरोद, जिला भोपाल।
5. समस्त पंजीकृत पेट्रोल पंप डीलर्स, जबलपुर संभाग।

उप नियंत्रक
नाप तौल, जबलपुर संभाग,
जबलपुर